दूरभाष नं•–0121–4026012

# ''आभा मानव मन्दिर''

## (वरिष्ठ नगरिक सेवा सदन)

पंचवटी कालोनी, मवाना रोड, मेरठ (उ•प्र•)
मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित
रजिस्टर्ड कार्यालय :– ए–1, किरपाल अपार्टमेन्ट, पटपड़गंज, दिल्ली–1

## ☐ सेवा सदन वासियों के लिए विनियमावली

### ☐ प्रवेश पात्रताः–

किसी भी भारतीय मूल के वरिष्ठ नागरिक (स्त्री/ पुरूष) के लिए जो कि एकाकीपन के कारण अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते या जिनकी देखभाल के लिये कोई परिचारक/व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या ऐसे व्यक्ति जो वृद्धावस्था के कारण सम्यक रुप से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे या जो व्यक्ति अपने सगे–सम्बन्धियों द्वारा तिरस्कृत हों या ऐसे व्यक्ति जो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हों तथा अपने शेष जीवन में समाज की सेवा करना चाहते हों तथा अपने जीवन के ज्ञान एवं अनुभव को आने वाली युवा पीढ़ी में बाँटना चाहते हों, धर्म, जाति तथा रंग के भेदभाव के बिना ''आभा मानव मन्दिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन'' में प्रवेश पाने के पात्र हैं, यदि वे सामान्य रूप से स्वस्थ हैं, जिसके लिए उन्हें सेवा सदन कार्यालय से प्राप्त परीक्षणों की सूची के अनुसार किसी टेस्ट लैब से परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ट्रस्ट से सम्बद्ध चिकित्सक द्वारा टेस्ट रिपोर्ट का परीक्षण किया जायेगा तथा उनके अनुमोदन के पश्चात् ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

### ☐ प्रवेश के लिए अयोग्यताः–

ऐसे वरिष्ठ नागरिक को आभा मानव मन्दिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन में प्रवेश नहीं मिलेगा जो किसी छूत की बीमारी या मानसिक बीमारी से ग्रस्त हों अथवा जिनके विरूद्ध कानून का उल्लंघन करने के या आपराधिक मामले विचाराधीन हों या जो नशे की लत से ग्रस्त हों या जो मादक पदार्थों का सेवन करते हों।

### ☐ प्रवेश विधिः–

1. आभा मानव मंदिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को सेवा सदन की प्रवेश समिति की अनुशंसा पर मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट के न्यास–परिषद के अनुमोदन पर प्रवेश दिया जायेगा।
2. सेवा सदन के सदस्य बनने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को निर्धारित फार्म भरकर आवेदन करना होगा तथा घोषणा–पत्र एवं ''मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट'' के नियमों को मानने के लिए स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. प्रवेशार्थी को आवेदन पत्र आवेदक के हस्ताक्षर युक्त दो फोटो प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र दो स्थानीय जमानती द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा एवं यथा सम्भव दो निकट सम्बंधियों द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. साक्षात्कार के आधार पर सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार प्रवेश के प्रकार पर निर्णय लिया जायेगा।
5. प्रारम्भ में सेवा सदन में प्रवेश अस्थाई होगा जो 90 दिवसों के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में संवासी को सेवा सदन में संवास के लिए अयोग्य नहीं पाया जाता है तो प्रवेश को 90 दिन की अवधि के बाद स्थाई कर दिया जायेगा।
6. सेवा सदन में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को साक्षात्कार के समय अपने एक निकटतम सम्बंधी को साथ लाना होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रार्थी को अपने पुत्र/ पुत्री, भाई,बहिन जो बालिग हैं तथा जो अनुबन्ध करने के लिए सक्षम हैं में से किसी का सहमति पत्र तथा उनका परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। सहमति पत्र तथा परिचय पत्र पर सम्बंधित सम्बंधी के हस्ताक्षर, उनका पूर्रा सम्पर्क पता, टेलीफोन नम्बर अंकित होंगे जिससे कि ट्रस्टी/प्रवेश समिति द्वारा आवेदक के साथ संयुक्त रुप से प्रवेश की पात्रता के लिए साक्षात्कार किया जा सके।
7. आवेदक को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित अभिलेख, सम्बन्धित प्राधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि हेतु, मूलरूप में प्रस्तुत करने होंगेः
   अ) सेवा सदन द्वारा निर्धारित परीक्षणों की परीक्षण रिपोर्ट।
   (ब) निकट सम्बंधी का, आवेदक से सम्बंध को इंगित करते हुए, नाम, कुलनाम, पारिवारिक नाम, पूर्ण सम्पर्क पता तथा टेलीफोन एवं मोबाइल नं.।
   (स) यदि आवेदक विवाहित है तो पत्नी/ पति के सम्बंध में पूर्ण विवरराा, उनके नाम, कुल नाम, पारिवारिक नाम, जन्मतिथि, सम्पर्क के लिए टेलीफोन नं. इत्यादि।
   (द) आयु प्रमाण पत्र।
   (ध) आवास प्रमाण पत्र।
8. सेवा सदन के प्राधिकारी किसी ऐसे आवेदक को, जिसका चरित्र अथवा पूर्ववृत्त संतोषजनक नहीं पाया जाता है अथवा किसी अन्य

कारण से जिसको सम्बंधित प्रधिकारी उपयुक्त समझते हैं, प्रवेश से वंचित कर सकते हैं।।

9. किसी भी संवासी को, जिसने मिथ्या/भ्रामक सूचना के आधार पर सेवा सदन में प्रवेश पा लिया है अथवा जो सेवा सदन में संवास के मध्य कदाचरण/ अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाता है, सेवा सदन से निष्कासित कर दिया जायेगा।

10. सेवा सदन से निष्कासित किसी भी सदस्य का पुनः प्रवेश नहीं किया जायेगा। न्यास का निर्णय अंतिम तथा आवेदक को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

## सेवा सदन में जीवन पद्धतिः–

1. सेवा सदन वासियों के लिए पूर्रा आवासीय व्यवस्था के साथ उनके जीवन पर्यन्त निम्नलिखित दो प्रकार में से किसी एक का, उपलब्धता के आधार पर, आवास स्थान उपलब्ध होगाः

(अ) संलग्न प्रसाधन के साथ दो व्यक्तियों का कमरा।

(ब) सामूहिक प्रसाधन के साथ दो व्यक्तियों का कमरा।

स।लग्न प्रसाधन के साथ वाले कमरे ट्रस्ट की नीति के अनुसार युगल (पति एवं पत्नि) को तथा सामूहिक प्रसाधन के साथ वाले कमरे एकल पुरुष /महिला को दिये जायेंगे। संलग्न प्रसाधन वाले कमरे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त पर कमरों का आवंटन किया जायेगा तथा बाद वाले प्रार्थियों को सामूहिक प्रसाधन वाले कमरे आवंटित किये जायेंगे। कक्ष की निर्धारित धनराशि के दान दाता को, उसके एकल होने की स्थिति में भी, संलग्न प्रसाधन वाला कक्ष उसके एकल आवास के लिए आवंटित किया जा सकेगा, यदि वह पूर्णरूप से स्वस्थ हो।

2. यदि कोई संवासी अकेला ही कमरे में रहने का इच्छुक है तो उसको ऐसा करने की अनुमति तभी दी जा सकती है जबकि वह पूर्णरूप से स्वस्थ हो।

3. पुरूष एवं महिला संवासियों को अलग–अलग कमरों में आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, किन्तु पति–पत्नी को एक ही कक्ष में स्थान दिया जायेगा।

4. अच्छा एवं पारिवारिक वातावररा बनाए रखने के लिए संवासियों से अपेक्षा है कि पारस्परिक सौहार्द एवं प्रेम बनाए रखते हुए स्वैच्छिक रूप से योग/छोटे–छोटे कार्य/ आश्रम के कार्य/ सामाजिक कल्याण के लिए सहयोग में विश्वास रखते हुए ईश्वर प्रदत्त स्वास्थ्य का आदर करेंगे तथा सेवा सदन/ ट्रस्ट के लिए अपनी क्षमतानुसार कार्य करके समाज के कल्यारा में सहभागी बनेंगे।।

5. आपस में मैत्री एवं एकता को बढ़ाने एवं विकसित करने के लिए संवासियों से अपेक्षा है कि वे एक दूसरे की सहायता करते हुए सेवा सदन के विभिन्न कियाकलापों में अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार भाग लेंगे। तथा वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए प्रार्थना (यदि आयोजित हो), भोजन, खेल, मनोरंजन एवं अन्य कियाकलापों में समूहिक रूप से भाग लेंगे।

6 सभी संवासियों के द्वारा सेवा सदन के अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। वे कठोर अनुशासन का पालन करेगें तथा सभी सदस्यों को अपने साथी सदस्यों के सोने के समय 9:30 बजे रात्रि से सुबह 6 बजे तक शान्ति बनाये रखना होगा।

7. सभी संवासियों का प्रार्थना, भोजन आदि दैनिक कार्यकलापों के लिए समय निष्ठ रहना आवश्यक है।

8. अपने आवासीय कक्ष को स्वच्छ रखना प्रत्येक सेवा सदन वासी का दायित्व होगा। साथ ही साथ सेवा सदन परिसर को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर एवं मनोहर बनाये रखने में सहयोग करना भी प्रत्येक का दायित्व होगा। सेवा सदन प्रशासन परिसर की स्वच्छता के साथ साथ सामूहिक प्रयोग के स्थानों तथा संवासियों के कक्षों की सामान्य स्वच्छता का दायित्व वहन करेगा।

9. सेवा सदन में धूम्रपान, मदिरापान, पान खाना, तम्बाकू खाना, धन के दांव के साथ ताश खेलना सर्वथा निषेध है।

10. संवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सेवा सदन की प्रत्येक छोटी या बड़ी वस्तु को सुरक्षित अभिरक्षा में तथा सही दशा में रखने का दायित्व उनका प्रयोग करने वाले संवासी का होगा। किसी संवासी की असावधानी अथवा दुरुपयोग के काररा यदि कोई वस्तु खो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है अथवा टूट जाती है तो उसकी भरपायी सम्बंधित सेवा सदन वासी से की जायेगी।

11. सेवा सदन के आवासीय कक्षों में उन आवासीय कक्षों को छोड़कर जिनमें रसोई घर उपलब्ध है, भोजन पकाना निषिद्ध है।

12. किसी भी संवासी द्वारा मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट के न्यास–परिषद के बिना अनुमोदन के अपने कक्ष में एयर कन्डीशनर नहीं लगाया जायेगा। यदि ट्रस्ट द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुमति पत्र में निहित प्राविधानों का पालन आवश्यक होगा।

13. सेवा सदन में संवास करते हुए किसी भी संवासी को निजी व्यवसाय/ व्यापार अथवा सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

14. सेवा सदन के टेलीफोन से संवासियों द्वारा बाहर टेलीफोन नहीं किए जा सकेंगे।

15 सेवा सदन के पास ऐसे सदस्य को बर्खास्त करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं जो गम्भीर अनुशासन हीनता, कदाचरण अथवा अन्य किसी ऐसे आचरण का जिससे सेवा सदन की शांति भंग होती हो अथवा सेवा सदन का सौहार्द पूर्ण वातावरण प्रदूषित होता है, दोषी पाया जाता है।

16. सेवा सदन में समिश भोजन पकाने/ उपलब्ध कराने/ खाने की अनुमति नहीं होगी।

17. बिजली के प्रयोग को नियंत्रित करने तथा उसका दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक कक्ष के लिए बिजली का मीटर लगाया

जायेगा, जिसमें अंकित उपभोग का आर्थिक वहन संवासी को करना होगा।

## चिकित्सा सुविधा/ उपचार

1. सामान्य प्रकृति की बीमारियों जैसे बुखार, खाँसी, सर्दी, सामान्य दर्द के लिए दवाइयों का खर्च मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट वहन करेगा तथा यह पूर्णतया न्यास के चिकित्सक के विवेक पर होगा।
2. पुरानी (पहले से) चली आ रही लम्बी बीमारियों के जैसे रक्तचाप, शर्करा, हदृय सम्बंधी, माइग्रेन इत्यादि, उपचार का व्यय संवासी को स्वयं वहन करना होगा।
3. ट्रस्ट दिन के समय में सदस्यों की चिकित्सकीय देखभाल के लिए एक नर्स उपलब्ध करायेगा।
4. आवश्यकता पड़ने पर सेवा सदन में ही चिकिसक की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। चिकित्सक की सलाह पर संवासी को उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया जायेगा।
5. गम्भीर रुप से बीमार होने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर सदस्य को मेरठ के सरकारी अस्पताल/मेडीकल कालेज में भर्ती किया जायेगा तथा आवेदन–पत्र में उल्लिखित निकट सम्बन्धी को यथा शीघ्र अस्पताल में भर्ती करने के पश्चात सूचित कर दिया जायेगा। यदि उसके सम्बन्धी या जमानती उसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना चाहते हों तो अपने स्वयं के खर्चे पर उन्हें ऐसा करने की अनुमति होगी।
6. गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए सदस्य अपने विवेकानुसार प्रतिभूति राशि जमा कर सकता है तथा रसीद प्राप्त कर सकता है। यदि इस धन का प्रयोग उसके इलाज पर नहीं होता है तो वह धन उसे लौटा दिया जायेगा या सेवा सदन छोड़ते समय उसकी सहमति से उसे गरीब सदस्यों के इलाज पर खर्च किया जायेगा या मृत्यु होने की दशा में उसके द्वारा पूर्व में प्रदत्त सहमति से गरीब सदस्यों के इलाज पर खर्च किया जायेगा।

## सेवा सदन द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

1. प्रातः काल की चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय तथा रात्रि का भोजन सेवा सदन द्वारा दिए जायेंगे ।
2. मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा स्वयं या उनके सम्बन्धियों द्वारा दिये गये दान के कारण सदस्यों को कोई विशेष सुविधा/वरीयता नहीं दी जायेगी।
3. पलंग, गददा, तकिया, तकिया का गिलाफ, चादर, पर्दे, अलमारी, कुर्सी तथा बर्तन न्यास द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। टी0वी0, रैफ्रिजरेटर, वाटर कूलर तथा इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक प्रयोग के सामान भी न्यास द्वारा सामूहिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. यदि कोई संवासी मेनू ;डमदनद्ध के अतिरिक्त दूध का सेवन करना चाहता/चाहती है, तो उसे सेवा सदन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मूल्य पर सेवा सदन द्वारा दूध उपलब्ध कराया जायेगा।

## अभ्यागत तथा सदस्यों का आवागमन

1. सदस्यों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने के लिए परिवार वाले तथा अन्य अभ्यागतों को ग्रीष्मकाल में प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे के बीच तथा शरद काल में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के बीच मिलने की अनुमति है। किसी भी परिस्थिति में अभ्यागत को उपरोक्त समय से पहले या बाद में मिलने की अनुमति नहीं होगी। सामान्यतः सदस्य अभ्यागत से मुलाकात के लिए सेवा सदन में निर्धारित स्थान पर ही मिलेंगे।
2. सामान्यतः सेवा सदन अभ्यागत को भोजन तथा आश्रय उपलब्ध नहीं करायेगा। केवल अपरिहार्य परिस्थतियों में प्रबन्धन के विवेक पर अभ्यागत को यह सुविधा सेवा सदन द्वारा निधारित दरों पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।
3. सेवा सदन से बाहर जाने वाले संवासी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह रात्रि 8 बजे से पूर्व सेवा सदन में अवश्य लौट आए। केवल आपात् स्थिति में अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति पर ही इस नियम में शिथिलता दी जा सकेगी।
4. सम्बंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई अभ्यागत किसी ऐसे संवासी से नहीं मिल सकेगा जो बीमारी के काररा चलने–फिरने में सक्षम नहीं है।
5. यदि कोई सेवा सदन वासी थोड़े समय के लिए सेवा सदन परिसर से बाहर जाना चाहता/ चाहती है तो वह सेवा सदन कार्यालय में उपलब्ध पंजिका में वांछित विवररा अंकित कर ऐसा कर सकता/सकती है ।
6. किसी भी सदस्य को, पूर्व निर्धारित सूचना सेवा सदन के प्रबन्धक को उपलब्ध कराने पर ही रात्रि में अपने किसी मित्र अथवा सम्बंधी के साथ सेवा सदन परिसर से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि कोई संवासी एक बार में 30 दिन तक की अवधि के लिए सेवा सदन से जाना चाहता/चाहती है तो वह सेवा सदन प्रबन्धन की लिखित अनुमति, जो सामान्यतः प्रदान कर दी जायेगी, से ही ऐसा कर सकता/सकती है। यदि कोई संवासी 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए सेवा सदन से जाना चाहता/चाहती है अथवा पूर्व प्रदत्त अनुमति की अवधि को बढ़ाकर 30 दिन से अधिक करता/करती है तो उसका आवासीय कक्ष किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है तथा उसके लौटने पर दूसरा कमरा उपलब्धता के आधार

पर ही उसको दिया जाना सम्भव होगा।

## देहावसान एवं अंत्येष्टि

1. किसी संवासी की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट उसके उन सम्बंधियों को टेलीफोन पर सूचना देगा जिनका विवरणा प्रवेश प्रार्थना पत्र में उसने उपलब्ध कराया होगा। ट्रस्ट सम्बंधियों के द्वारा अंत्येष्टि के लिए 8 घंटे तक प्रतीक्षा करेगा। स्वर्गवासी संवासी के सम्बंधी/ सम्बंधियों के न पहुंचने पर अंत्येष्टि ट्रस्ट द्वारा की जायेगी। यदि सेवा सदन किन्ही अपरिहार्य कारणों से मृतक के सम्बंधी से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाता है तो भी ऐसी स्थिति में अंत्येष्टि यथा सम्भव 8 घंटे पश्चात ही की जायेगी। चिकित्सीय सुविधा में कमी या सेवा सदन के द्वारा किसी लापरवाही अथवा अंत्येष्टि की प्रक्रिया के सम्बंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा।
2. सेवा सदन में प्रवेश के समय ही प्रत्येक संवासी को अपने उन सम्बंधियों के सम्बंध में पूर्रा विवरण (पता तथा टेलीफोन नं. सहित) उपलब्ध करा देने चाहिए जिनको संवासी के गम्भीर रूप से बीमार पड़ने अथवा उसकी मृत्यु पर अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

## सेवा सदन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सहयोग

1. सेवा सदन में सामान्य रूप से प्रदत्त किसी भी सेवा के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है तथापि संवासी ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे सेवा कार्य में सहयोग हेतु दान दे सकते है।। इस सम्बन्ध में जानकारी/विवरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।।
2. शारीरिक रूप से अक्षम संवासी यदि स्वयं की देखभाल के लिए विशेष नर्स सेवाएँ चाहते हैं तो उनको उपरोक्त मासिक सहयोग के अतिरिक्त नर्स की सुविधा के लिए सम्पूर्ण व्यय वहन करना होगा। यदि संवासी इच्छुक हों तो उनकी सुविधा के लिए वे अपनी इच्छानुसार एक मुश्त धनराशि सेवा सदन में आग्रिम जमा कर सकते हैं।।
3. अपने व्यक्तिगत प्रयोग की सभी आवश्यकताओं जैसे कपड़े, जूते, तौलिया, प्रसाधन की सम्पूर्ण सामग्री आदि की व्यवस्था स्वयं करना संवासी का दायित्व होगा।
4. अपने व्यक्तिगत कपड़ों की सफाई का दायित्व स्वयं संवासी का होगा। केवल शारीरिक रूप से अक्षम एवं बीमार संवासियों के कपड़ों की धुलाई की व्यवस्था सेवा सदन द्वारा उनके व्यय पर कराई जायेगी। संवासियों के अनुरोध पर सेवा सदन द्वारा उनके व्यय पर उनके कपड़ों को धुलवाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

## सामान्य

1. मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट का उद्धेश्य आभा मानव मन्दिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन यापन का अवसर प्रदान करते हुए उनके जीवन के अनुभवों को युवा पीढ़ी एवं समाज में प्रसारित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ट्रस्ट प्रत्येक संवासी की अभिरूचि के क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा तथा उनके ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग **शिक्षा** के क्षेत्र जैसे छात्रों को पढ़ाना, लेखन आदि में किया जायेगा। जिनकी अभिरूचि ललित कला, फाइन आर्ट, पोशाक तथा अन्य चीजों की डिजाइन में है, उनके अनुभव का लाभ इन क्षेत्रों के विकास के लिए किया जायेगा। इन क्रिया कलापों के लिए संवासियों को सेवा सदन/ ट्रस्ट द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. सेवा सदन में प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को नोटरी द्वारा सत्यापित एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित सूचनाएँ होंगी :
    1. आयु की घोषणा।
    2. स्थायी पते की घोषणा।
    3. मादक पदार्थों, शराब तथा नशीले पदार्थों के सेवन न करने की घोषणा।
    4. छूत की बीमारी तथा कैंसर, टी.बी., मानसिक बीमारी तथा एच.आई.वी. पोजिटिव न होने की घोषणा।
3. किसी भी सेवा सदनवासी का आवासीय कमरा आश्रम की आवश्यकतानुसार बदलने का अधिकार सेवा सदन के पास सुरक्षित है।
4. यदि किसी संवासी से सेवा सदन छोड़ने के लिए कहा जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. संवासियों को अपने साथ कम–से–कम तथा आवश्यक सामान ही रखने की अनुमति दी जायेगी। जहाँ तक सम्भव हो वे अपने साथ दो सूटकेस तथा एक विस्तर रखेंगे।
6. कोई संवासी सेवा सदन में कोई अग्नेयास्त्र अथवा हथियार नहीं रख सकेगा/ सकेगी।
7. भोजन जैसे प्रातः कालीन चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय एवं रात्रि का खाना निश्चित समय पर भोजन कक्ष में ही उपलब्ध कराया जायेगा। आवासीय कक्ष में केवल बीमार तथा चलने–फिरने में अक्षम संवासियों को ही भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
8. यदि कोई संवासी अपने शरीर के किसी अंग को जैसे आंख, गुर्दे, इत्यादि अपनी मृत्यु के पश्चात दान करना चाहता/ चाहती

है तो इसकी लिखित घोषराा उसको अपने जीवन काल में करनी होगी जिससे कि सेवा सदन इसके सम्बंध में ससमय समुचित व्यवस्था कर सके।

9. यह विदित होना चाहिए कि न तो किसी सदस्य को और न ही किसी दान दाता को ''मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट'' की जायदाद के किसी कमरे, भाग या अंश पर मालिकाना या अन्य अधिकार अथवा हक जताने का अधिकार है।

10. हर संवासी को उसके कमरे की एक चाबी सदैव सेवा सदन के प्रबन्धक के पास उपलब्ध करानी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रबन्धन को आवश्यकता पड़ने पर ताला तोड़ कर कमरे में घुसने का अधिकार होगा। इस सम्बंध में कोई मौखिक अथवा लिखित विवाद मान्य नहीं होगा।

11. यदि सेवा सदन में रहते हुए किसी संवासी की कोई धनराशि, सेवा सदन के लेखों के अनुसार, सेवा सदन पर अवशेष है तो वह सेवा सदन छोड़ते समय उसको लौटा दी जायेगी। इस धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि इस प्रकार की धनराशि पर सेवा सदन छोड़ने के बारह माह तक दावा नहीं किया जाता है, तो उसे अन्य संवासियों के कल्याणार्थ समायोजित कर दिया जायेगा।

12. अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति/ वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व संवासी का होगा तथा सेवा सदन प्रबन्धन ऐसी किसी वस्तु के खोए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

13. सेवा सदन द्वारा प्रदत्त आवासीय सुविधा अथवा सामूहिक उपयोग के लिए प्रदत्त किसी सुविधा अथवा इनके किसी भी भाग पर संवासी/ उसके द्वारा नामित व्यक्ति/ कानूनी वारिस का किसी भी परिस्थिति में कोई स्वामित्व, अधिकार अथवा कोई हक नहीं होगा। सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्ट की रहेगी तथा सेवा सेवा सदन में रहने वाले सदस्यों का उनको समय– समय पर आवंटित कक्ष में संवास के अतिरिक्त कोई और अधिकार अथवा हक नहीं होगा। ट्रस्ट किसी भी समय संवासी को आवंटित कक्ष में परिवर्तन कर सकता है जिसको मानना सदस्यों के लिए बाध्यता होगी और इस सम्बंध में कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।

14. किसी भी संवासी/ उसके सम्बंधी एवं ट्रस्ट के मध्य उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का निबटारा मेरठ न्यायालय में ही होगा।

## नियमावली में परिवर्तन/ संशोधन

समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल समय–समय पर उपरोक्त विनियमावली में ट्रस्ट के विवेकानुसार संशोधन/परिवर्तन किए जा सकते हैं।।

## विनियमावली का क्रियान्वयन

प्रत्येक आवेदक जिसे आभा मानव मन्दिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन में प्रवेश दिया जाता है उसे संवासियों के लिए प्रयोज्य उपरोक्त विनियमावली के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।